उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग 2

संख्या 01/2019//39-84-2-2019 सी.पी. 25/ 2017

लखनऊ दिनांक 21 फरवरी 2019

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2019 कही जाएगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

नियम 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तंभ-1 में दिए गए नियम-2 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात् :-

स्तंभ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तंभ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
2 परिभाषाएं- इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -	**2 परिभाषाएं-** इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क)"अधिनियम" का तात्पर्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) से है;	(क)"अधिनियम" का तात्पर्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) से है;
(ख)"अभिकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से राज्य आयोग या जिला फोरम के समक्ष परिवाद, अपील या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो;	(ख)"अभिकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से राज्य आयोग या जिला फोरम के समक्ष कोई परिवाद या अपील या उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो;
(ग) "अपीलार्थी" का तात्पर्य ऐसे पक्षकार से है जो जिला फोरम के आदेश के विरुद्ध अपील करें;	(ग)"अपीलार्थी" का तात्पर्य ऐसे पक्षकार से है जो जिला फोरम के आदेश **के विरुद्ध** अपील करता है;
(घ)''ज्ञापन" का तात्पर्य अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील के ज्ञापन से हैं;	(घ)"जिला फोरम" का तात्पर्य, अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम से है ;
(ड़.)''विरोधी पक्षकार'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो परिवाद या दावे का उत्तर देता है;	(ड़.)"सदस्य" का तात्पर्य,यथास्थिति, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त जिला फोरम के किसी सदस्य अथवा अधिनियम की धारा 16
(च) "प्रधान" का तात्पर्य,यथास्थिति, राज्य आयोग या जिला फोरम के प्रधान से है;	

(छ)"प्रत्यर्थी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो : के अपील का उत्तर देता है;	की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त राज्य आयोग के किसी सदस्य से है ;
(ज)''राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी हैं।	(च) ''ज्ञापन" का तात्पर्य,अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील के ज्ञापन से है ;
	(छ)''विरोधी पक्षकार'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो परिवाद या दावे का उत्तर देता है;
	(ज)"प्रधान " का तात्पर्य, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त जिला फोरम के प्रधान अथवा अधिनियम की धारा 16 की उप धारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त राज्य आयोग के प्रधान से है;
	(झ)''प्रत्यर्थी '' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपील के किसी ज्ञापन का उत्तर देता है;
	(ञ) 'चयन समिति' का तात्पर्य यथास्थिति, धारा 10 की उपधारा (1 क) या धारा 16 की उपधारा (1 क) के अधीन गठित चयन समिति से है ;
	(ट) ''राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी हैं:
	(ठ) "राज्य आयोग" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-9 के खंड (ख) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से है;
	(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं ।

नियम 3 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए नियम-3 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:-

स्तंभ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तंभ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
3.जिला फोरम के प्रधान और सदस्यों के वेतन, अन्य भत्ते, निबंधन और शर्तें [धारा 10(3)].-- (1)(क) जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाए तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा । कोई सदस्य यदि वह पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 13950/- रुपए का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा । (ख) जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाए और उसे सरकारी आवास न	**3.जिला फोरम में नियुक्तियों का ढंग -** (1) जिला फोरम के प्रधान की नियुक्ति या तो (क) सीधी नियुक्ति द्वारा या (ख) सेवारत जिला न्यायाधीशों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी । परंतु किसी सेवारत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय की सहमति के बिना नहीं की जाएगी । परंतु यह और कि जहां वर्ष के प्रारंभ में किसी जिला फोरम के समक्ष लंबित परिवाद पांच सौ से अधिक न हों

दिया गया हो तो प्रतिमास 3290/- रुपए मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा ।

(ग) जिला फोरम का सदस्य, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाए और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमाह 2470/- रुपए मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा ।

(2) जिला फोरम के प्रधान और सदस्य सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य है ।

(3) वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किए जाएंगे ।

(4) नियुक्ति के पूर्व, जिला फोरम के प्रधान और सदस्यों को यह परिवचन करना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(5) धारा 10 (2) के उपबंधों के अतिरिक्त, राज्य सरकार किसी जिला फोरम के ऐसे प्रधान और सदस्यों को पद से हटा सकती है:-

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत किया जा चुका है; या

(ख) जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो चुका हो, या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ड.) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; या

(च) जो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय और पूर्व निर्णय के अनुरूप निर्णय या आदेश पारित न करें या अंतिम तीन वर्षों में दाखिल औसतन परिवादों की संख्या पांच सौ से अधिक न हो, वहां अंशकालिक आधार पर नियुक्ति की जा सकती है ।

(2) उपनियम (1) में उपबंधों के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कार्य का प्रबंध किसी सेवारत जिला न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार समनुदेशित करके किया जा सकता है तो वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से ऐसा कर सकती है ।

(3) जिला फोरम के सदस्य की नियुक्ति, पूर्णकालिक आधार पर या अंशकालिक आधार पर की जाएगी ।

परंतु पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए पदों की संख्या का अभिनिर्धारण राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग के प्रधान के परामर्श से किया जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां वर्ष के आरंभ में किसी जिला फोरम के समक्ष लंबित परिवाद पांच सौ से अधिक न हो या विगत तीन वर्षों में दाखिल औसतन परिवाद पांच सौ से अधिक न हों, वहां नियुक्ति, अंशकालिक आधार पर की जा सकती है ।

(4) वर्ष के आरंभ में किसी जिला फोरम के समक्ष लंबित परिवाद एक हजार पांच सौ से अधिक हों या विगत तीन वर्षों में दाखिल परिवादों की औसत संख्या एक हजार से अधिक हो तो राज्य सरकार, जिला में एक अतिरिक्त जिला फोरम स्थापित कर सकती है ।

(5) अंशकालिक आधार पर नियुक्त प्रधान एवं सदस्य, सप्ताह में उतने दिनों तक कार्य करेंगे जैसा कि राज्य आयोग के प्रधान द्वारा जिला फोरम के कार्यभार पर विचार करते हुए राज्य सरकार के परामर्श से विनिश्चय किया जाय ।

परंतु किसी सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या दो दिन से कम नहीं होगी और अंशकालिक आधार पर नियुक्त प्रधान और सदस्य अपने कार्य दिवसों में नियमित रूप से कार्यालय समय का अनुपालन करेंगे ।

(6) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करने या तात्पर्यित रूप से कार्य करने के दौरान प्रधान तथा सदस्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

http://srisanadesh.up.nic.in

तथा पूर्ण सत्यनिष्ठा, सदाचरण एवं कर्तव्य परायणता का परिचय न दे; या

(छ) जो बिना अनुमति के 7 दिन तक अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति का दोषी हो:

परंतु प्रधान या सदस्य को इस उप नियम के खंड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जाएगा, सिवाय राज्य सरकार द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, की गई जांच के द्वारा और जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोषी पाया जाए ।

(6) जिला फोरम के प्रधान और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों को उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

(7) जहां जिला फोरम के प्रधान के पद पर कोई रिक्ति होती है,वहां ततसमय पद धारण करने वाले जिला फोरम का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य तब तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति जिला फोरम के प्रधान का पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(8) जब जिला फोरम का प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों के निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब जिला फोरम का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य उस दिन तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक प्रधान फिर से अपने कृत्यों को संभाल न ले ।

(9) प्रधान या कोई सदस्य, इस रूप में पद पर न रह जाने पर,किसी ऐसे संगठन के प्रबंध या प्रशासन में या उससे संबद्ध जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस दिनांक से जब वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है,पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा।

(7) जहां जिला फोरम के प्रधान के पद पर कोई रिक्ति होती है, वहां तत्समय पद धारण करने वाला जिला फोरम का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य, तब तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति, जिला फोरम के प्रधान का पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(8) जब जिला फोरम का प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब जिला फोरम का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य तब तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक प्रधान फिर से अपने कृत्यों को संभाल नहीं लेता है ।

(9) प्रधान या कोई सदस्य, इस रूप में ऐसा पद धारण करने से प्रवरित हो जाने पर,किसी ऐसे संगठन के प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबद्ध जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अध्यधीन रहा हो, उस दिनांक से जब वह ऐसा पद धारण करने से प्रवरित रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी नियुक्ति का पद धारण नहीं करेगा।

नये नियम 3 क से 3 च का बढ़ाया जाना

4.उक्त नियमावली में, नियम-3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

http://srisamadesh.up.nic.in

3क- जिला फोरमों के प्रधान एवं सदस्यों का चयन -

(1) जिला फोरमों के प्रधान एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की कार्यवाही, राज्य आयोग के प्रधान द्वारा की जाएगी ।

(2) नियुक्तियों की प्रक्रिया, रिक्ति होने से कम से कम 6 माह पूर्व प्रारंभ की जाएगी ।

(3) यदि कोई पद,प्रधान या किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु या नए पद सृजन के कारण रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया, यथास्थिति पद के रिक्त होने या उसका सृजन किए जाने के पश्चात् तत्काल प्रारंभ की जाएगी ।

(4) पात्र अभ्यर्थियों से पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए किसी रिक्ति का विज्ञापन ,प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी रीति से परिचालित किया जाएगा जैसा कि राज्य आयोग का प्रधान उचित समझे ।

(5) जिला फोरम के प्रधान तथा सदस्यों का चयन, अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।

(6) आवेदन की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची उनके आवेदनों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी ।

(7) चयन समिति आवेदकों की सूची निम्नलिखित रीति से तैयार करेगी, अर्थात् :-

(क) न्यायिक पृष्ठभूमि धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पारित निर्णयों और अन्य न्यायिक आदेशों के आधार पर;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम के अधीन कार्य का अनुभव धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उनकी विगत 10 वर्षों की उपलब्ध वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों सहित कार्य अनुभव के आधार पर;

(ग) अन्य मामलों में,लिखित परीक्षा में निष्पादन के आधार पर, जिसमें निम्नलिखित योजना के अनुसार दो प्रश्न पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्नपत्र में अर्हता अंक 50 प्रतिशत होंगे:-

प्रश्नपत्र	विषय	परीक्षा की प्रकृति	अधिकतम अंक	अवधि
प्रथम प्रश्नपत्र	(क) सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं । (ख) भारत का संविधान । (ग) अनुसूची में संसूचित विभिन्न उपभोक्ता संबंधित विधियों का ज्ञान ।	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	2 घंटे
द्वितीय प्रश्नपत्र	(क) व्यापार एवं वाणिज्य, उपभोक्ता से संबंधित मामलों अथवा सार्वजनिक मामलों से सम्बंधित विषयों पर एक निबंध । (ख) विश्लेषणात्मक क्षमता एवं तर्कपूर्ण आदेश आलेखन के परीक्षण हेतु उपभोक्ता संबंधी मामले का एक वृत्त अध्ययन ।	वर्णनात्मक	100	3 घंटे

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) चयन समिति सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित करेगी जिसमें व्यक्तित्व, सुसंगत पूर्व अनुभव, विधि का ज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियों, धारित किए जाने वाले कर्तव्यभार के प्रति अभिरुचि तथा दृष्टिकोण हेतु सम्यक वरीयता प्रदान करते हुए अंक प्रदान किए जाएंगे ।

(9) चयन समिति, राज्य सरकार के विचारार्थ योग्यता क्रम के अभ्यर्थियों में से यथास्थिति प्रधान अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

(10) राज्य सरकार सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता और पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगी या कराएगी ।

(11) किसी प्रधान अथवा किसी सदस्य की प्रत्येक नियुक्ति सिविल शल्य चिकित्सक या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुलग्नक में यथा-संसूचित शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी ।

(12) नियुक्ति से पूर्व चयनित आवेदक को एक परिवचन देना होगा कि वह ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित धारित नहीं करता है और धारित नहीं करेगा जिससे प्रधान या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

3ख- **जिला फोरमों के पूर्णकालिक प्रधान एवं सदस्यों के वेतन/ पारिश्रमिक**

(1) प्रतिनियुक्ति पर तैनात सेवारत जिला न्यायाधीश, सुपर टाइम वेतनमान के जिला न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों के भुगतान का हकदार होगा ।

(2) सेवारत तथा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश से भिन्न पूर्णकालिक प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यूनतम वेतनमान तथा यथा अनुमन्य अन्य भत्तों के समतुल्य समेकित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा ।

(3) किसी पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के उप सचिव के न्यूनतम वेतन मान और यथा अनुमन्य अन्य भत्तों के बराबर समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा ।

(4) प्रधान एवं सदस्य के पदों पर पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का वेतन निर्धारण, अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाकर शेष धनराशि एवं पुनर्योजित पेंशनर को यथा अनुमन्य अन्य भत्तों के आधार पर होगा ।

(5) पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक का वार्षिक ऊर्ध्व पुनरीक्षण, 3% की दर से किया जाएगा ।

3ग- जिला फोरमों के अंशकालिक प्रधान एवं सदस्यों के वेतन/ पारिश्रमिक

(1) किसी अंशकालिक प्रधान को बैठक के लिए प्रतिदिन X श्रेणी के नगरों में पांच हजार रुपये, Y श्रेणी के नगरों में चार हजार रुपये एवं अन्य स्थानों में तीन हजार रुपये की समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा ।

(2) किसी अंशकालिक सदस्य को बैठक के लिए प्रतिदिन X श्रेणी के नगरों में चार हजार रुपये, Y श्रेणी के नगरों में तीन हजार पांच सौ रुपये और अन्य स्थानों में दो हजार पांच सौ रुपये की समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा ।

(3) अंशकालिक नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक का पुनरीक्षण,उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाएगा ।

(4) अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की गई नियुक्तियों के मामले में पारिश्रमिक,वित्तीय नियमों के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

3घ- पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्तियों को अवकाश एवं चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाएं -

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति, समूह 'क' के सरकारी सेवकों के लिए लागू अवकाश,यात्रा अवकाश सुविधा,चिकित्सा उपचार एवं अस्पताल सुविधाओं के लिए हकदार होंगे ।

3ड. - वेतन एवं अन्य वेतन भत्तों का भुगतान-

(1) वेतन, पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते, राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किए जाएंगे ।

(2) जिला फोरम के प्रधान तथा सदस्य, सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा-भत्तों तथा दैनिक-भत्तों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुमन्य हैं।

3च- जिला फोरम के प्रधान एवं सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तों को उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप से परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

नियम 6 का संशोधन **5- उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिए गए नियम-6 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात्:-**

स्तंभ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तंभ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
6. **राज्य आयोग के प्रधान तथा सदस्यों के वेतन, अन्य भत्ते, निबंधन और शर्तें धारा [16 (2)]** . (1) (क) राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन प्राप्त करेगा । कोई सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर आसीन है तो प्रतिमास 20910 रुपए का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा किंतु ऐसे पूर्णकालिक सदस्य जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा/ भारतीय प्रशासनिक सेवा /उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) से सेवानिवृत्त हुए हो समेकित पेंशन (राशिकरण से पूर्व) की धनराशि घटाकर अंतिम आहरित वेतन की धनराशि के समतुल्य धनराशि मानदेय के रूप में प्राप्त करेंगे जो वह अंतिम आहरित वेतन की धनराशि से अधिक नहीं होगी । (ख) राज्य आयोग के प्रधान किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे । यदि राज्य आयोग के प्रधान को ऐसा सरकारी आवास न दिया जाए तो वे मकान किराया भत्ता, जो सरकार द्वारा समय- समय नियत किया जाए, प्राप्त करेंगे । (ग) राज्य आयोग के सदस्य किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे । यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाए तो वह प्रतिमाह	**6.राज्य आयोग में नियुक्ति की रीति-** (1) राज्य आयोग के प्रधान की नियुक्ति,पूर्णकालिक आधार पर अथवा उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार समनुदेशित करके की जाएगी । परंतु उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की पूर्णकालिक आधार पर अथवा अतिरिक्त कार्यभार के आधार पर नियुक्ति,उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के बिना नहीं की जाएगी । (2) राज्य आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, (क) सीधी नियुक्ति द्वारा अथवा (ख) ऐसे सरकारी सेवकों,जो पद धारण करने हेतु अर्ह हों, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी । परंतु किसी सेवारत न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के बिना नहीं की जाएगी । परंतु यह और कि जहां वर्ष के प्रारंभ में राज्य आयोग के समक्ष लंबित परिवाद एवं अपीलें पांच सौ से अधिक न हों अथवा विगत 3 वर्षों में दाखिल औसत परिवादों तथा अपीलों की संख्या पांच सौ से अधिक न हो,वहां नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जा सकती है । (3) अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य, एक सप्ताह में उतने कार्य दिवसों तक कार्य करेंगे जैसा कि राज्य आयोग के प्रधान द्वारा जिला फोरम के कार्यभार

http://sjsadigeh.up.nic.in

4110/- रुपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगे ।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य ,सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा- भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुमन्य हो।

(3) वेतन, मानदेय, अन्य भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किए जाएंगे ।

(4)(क) राज्य आयोग के प्रधान पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक,इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो,पदधारण करेंगे और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे,

(ख)राज्य आयोग के सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, पदधारण करेंगे और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे,

परंतु प्रधान और सदस्य -

(क) किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं;

(ख) उपनियम (5) के उपबंघों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकते हैं ।

(5) राज्य सरकार आयोग के ऐसे प्रधान या सदस्य को पद से हटा सकती है-

(क) जो दिवालिया अधिनिर्णीत किया जा चुका है ;या

(ख) जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया चुका है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो चुका है ;या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;या

पर विचार करते हुए राज्य सरकार के परामर्श से विनिश्चय किया जाए ।

परंतु कार्य दिवसों की संख्या एक सप्ताह में 2 दिन से कम नहीं होगी तथा अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य, अपने कार्य दिवसों में नियमित कार्यालय समयों का अनुपालन करेंगे ।

(4) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य करने या तात्पर्यित रूप में कार्य करने के दौरान प्रधान एवं सदस्य, भारतीय दंड संहिता की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

(5) जहां राज्य आयोग के प्रधान के पद पर कोई रिक्ति होती है वहां तत्समय पद धारण करने वाला ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य तब तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति राज्य आयोग के प्रधान का पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(6) जब राज्य आयोग का प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राज्य आयोग का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य तब तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक प्रधान पुनः अपने कृत्यों का पदभार ग्रहण न कर ले ।

(7) प्रधान या कोई सदस्य, इस रूप में पद पर न रह जाने पर, किसी ऐसे संगठन के प्रबंधन या प्रशासन में या उससे संबद्ध मामले में,जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस दिनांक से जिस दिनांक को वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई नियुक्ति धारित नहीं करेगा ।

http://srisanadesh.up.nic.in

(ड.) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

परंतु प्रधान या सदस्य को उपनियम (5) के खंड (घ) और (ड.) में विनिर्दिष्ट आधार पर उसके पद से हटाया नहीं जाएगा सिवाय राज्य सरकार द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी वह इस निमित्त विर्निदिष्ट करे, की गई जांच के दौरान और जिसमें सदस्य को ऐसे आधार पर दोषी पाया जाय।

(6) नियुक्ति के पूर्व राज्य आयोग के प्रधान या सदस्य को यह परिवचन करना होगा कि उसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है और न होगा जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(7) राज्य आयोग के प्रधान और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तों को उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

(8) उपनियम (4)के अधीन या अन्यथा राज्य आयोग के प्रधान या किसी अन्य सदस्य के त्याग पत्र या हटाए जाने के कारण हुई प्रत्येक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी ।

(9) जहां राज्य आयोग के प्रधान के पद पर कोई ऐसी रिक्ति होती है वहां तत्समय पद धारण करने वाला ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य तब तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति राज्य आयोग के प्रधान का पद ग्रहण नहीं कर लेता है ।

(10) जब राज्य आयोग का प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राज्य आयोग का ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) सदस्य उस दिन तक प्रधान के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक प्रधान फिर से अपने कृत्यों को संभाल न ले ।

(11) प्रधान या कोई सदस्य इस रूप में पद पर न रह जाने पर, किसी ऐसे संगठन के प्रबंध या प्रशासन

http://shasanadesh.up.nic.in

में उससे संबद्ध जो उसकी पदावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का विषय रहा हो, उस दिनांक से जब तक वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए कोई पद धारण नहीं करेगा ।

नये नियम 6 क से 6 छ का बढ़ाया जाना

6. उक्त नियमावली में, नियम-6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

6क-राज्य आयोग के प्रधान का चयन: -

(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया, रिक्ति होने के कम से कम छः माह पूर्व प्रारंभ की जाएगी ।

(2) यदि प्रधान के त्यागपत्र या मृत्यु या नए पद सृजन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो उक्त पद को भरे जाने की प्रक्रिया,यथास्थिति पद की रिक्ति होने या उसका सृजन किए जाने के तत्काल पश्चात प्रारंभ की जाएगी ।

(3) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति, खोज एवं चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता एवं अनुभव के आधार पर उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के पश्चात् एक अभ्यर्थी एवं एक प्रतीक्षा सूची में एक अन्य अभ्यर्थी की संस्तुति,राज्य सरकार के विचारार्थ करेगी ।

(4) विचाराधीन अभ्यर्थियों की सतर्कता की दृष्टि से अनापत्ति ली जाएगी ।

(5) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति करेगी ।

(6)प्रधान की प्रत्येक नियुक्ति, सिविल शल्य चिकित्सक या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुलग्नक में यथा संसूचित शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन होगी ।

(7) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक परिवचन प्रस्तुत करना होगा कि वह ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित धारित नहीं करता है या धारित नहीं करेगा जिससे प्रधान के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

<u>6ख -राज्य आयोग के सदस्यों का चयन -</u>

(1) नियुक्तियों की प्रक्रिया, राज्य आयोग के प्रधान द्वारा रिक्ति होने से कम से कम छः माह पूर्व प्रारंभ की जाएगी ।

(2) यदि कोई पद, किसी सदस्य के त्यागपत्र या उसकी मृत्यु या नए पद सृजन के कारण रिक्त होता है तो उक्त पद को भरे जाने की प्रक्रिया,यथास्थिति पद रिक्त होने या सृजित किए जाने के तत्काल पश्चात् प्रारंभ की जाएगी ।

(3) पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए रिक्ति का विज्ञापन, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी रीति से परिचालित किया जाएगा जैसा कि राज्य आयोग का प्रधान उचित समझे ।

(4) राज्य आयोग के सदस्यों का चयन, अधिनियम की धारा 16 की उप धारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।

(5) आवेदन की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची उनके आवेदनों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी ।

(6) चयन समिति आवेदकों की सूची निम्नलिखित रीति से तैयार करेगी,अर्थात् :-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) न्यायिक पृष्ठभूमि धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पारित निर्णयों और अन्य न्यायिक आदेशों के आधार पर;

(2) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम के अधीन कार्य करने का अनुभव धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उनकी उपलब्ध विगत 10 वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों तथा आवेदित पद से सुसंगत अनुभव के आधार पर;

(3) अन्य मामलों में, लिखित परीक्षा के आधार पर जिसमें निम्नलिखित योजना के अनुसार दो प्रश्न पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्नपत्र में अर्हतांक 50 प्रतिशत होंगे ;

प्रश्न पत्र	विषय	परीक्षा की प्रकृति	अधिकतम अंक	अवधि
प्रथम प्रश्न पत्र	(क) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता के विस्तृत विशिष्टताएं (ग) अनुसूची में यथा संसूचित विभिन्न उपभोक्ता संबंधित विधियों का ज्ञान । (घ) भारत का संविधान का ज्ञान ।	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	2 घंटे
द्वितीय प्रश्न पत्र	(क) व्यापार एवं वाणिज्य,उपभोक्ता से संबंधित मामलों अथवा सार्वजनिक मामलों से संबंधित विषयों पर एक निबंध (ख) विश्लेषणात्मक क्षमताओं एवं तर्कपूर्ण आदेश आलेखन के परीक्षण हेतु उपभोक्ता संबंधी मामले का एक वृत्त अध्ययन ।	वर्णनात्मक	100	3 घंटे

(7) चयन समिति, सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित करेगी जिसमें व्यक्तित्व, सुसंगत पूर्व अनुभव, विधि का ज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियों, धारित किए जाने वाले कर्तव्यभार के प्रति अभिरुचि तथा दृष्टिकोण हेतु सम्यक वरीयता प्रदान करते हुए अंक प्रदान किए जाएंगे ।

(8) चयन समिति, राज्य सरकार के विचारार्थ योग्यता क्रम के अभ्यर्थियों में से सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

(9) राज्य सरकार सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता और पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगी या कराएगी ।

(10) किसी सदस्य की प्रत्येक नियुक्ति, सिविल शल्य चिकित्सक या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुलग्नक में यथा-संसूचित उसकी चिकित्सीय स्वस्थता हेतु शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी ।

(11) नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक परिवचन देना होगा कि वह ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित धारित नहीं करता है और धारित नहीं करेगा जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

6ग-राज्य आयोग के पूर्णकालिक प्रधान एवं सदस्यों के वेतन/ पारिश्रमिक

(1) राज्य आयोग का प्रधान वही वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करेगा जो राज्य के उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश को अनुमन्य हैं ।

http://srasonadesh.up.nic.in

(2) राज्य आयोग के पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के विशेष सचिव के न्यूनतम वेतनमान तथा यथा अनुमन्य अन्य भत्तों, के बराबर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा ।

परंतु प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त सेवारत सरकारी सेवक, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए लागू उपबंधों के अधीन वेतन और भत्तों के हकदार होंगे ।

पूर्णकालिक आधार पर प्रधान या सदस्य के पदों पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का वेतन निर्धारण, उनके द्वारा अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि घटाकर शेष धनराशि के आधार पर किया जाएगा ।

6घ- राज्य आयोग के अंशकालिक सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक-

(1) राज्य आयोग के अंशकालिक सदस्य को बैठक के लिए प्रतिदिन X श्रेणी के नगरों में पांच हजार रुपये, Y श्रेणी के नगरों में चार हजार रुपये और अन्य स्थानों में तीन हजार रुपये के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा ।

(2) अंशकालिक नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक का पुनरीक्षण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाएगा ।

(3) अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की गयी नियुक्तियों के मामले में पारिश्रमिक, यथा संशोधित वित्तीय नियमों के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

6ड.- पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्तियों को अवकाश एवं चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाएं -

पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति, राज्य सरकार के समूह 'क' के सरकारी सेवकों के लिए लागू उपबंधों के अनुसार अवकाश,यात्रा अवकाश सुविधा,चिकित्सा उपचार एवं अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे ।

6च- वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान-

(1) वेतन, पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते, राज्य सरकार की संचित निधि से अदा किए जाएंगे ।

(2) राज्य आयोग के प्रधान तथा सदस्य, सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा-भत्तों तथा दैनिक-भत्तों के लिए पात्र होंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए अनुमन्य हैं ।

6छ- राज्य आयोग के प्रधान एवं सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तों को, उनकी पदावधि के दौरान उनके हित के प्रतिकूल परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

नियम 9 और 10 का संशोधन

7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ-1 में दिये गए नियम-9 और 10 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिये गये नियम रख दिये जाएंगे अर्थात्:-

स्तंभ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तंभ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
9-(1) जिला फोरम के पूर्णकालिक प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग का प्रधान या तो स्वयं कर सकेगा या वह राज्य आयोग के किसी सदस्य या उसके निबंधक को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा । (2)जिला फोरम के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग के प्रधान द्वारा या राज्य आयोग के किसी सदस्य द्वारा या राज्य आयोग के निबंधक द्वारा या राज्य आयोग के	9. कतिपय परिस्थितियों में राज्य आयोग तथा जिला फोरमों के प्रधान एवं सदस्यों को हटाया जाना:- (1) राज्य सरकार ऐसे प्रधान या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, जो (क) दिवालिया अधिनिर्णीत किया जा चुका हो; या (ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा चुका हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो; या

http://srisanadesh.up.nic.in

प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट जिला फोरम के पूर्णकालिक प्रधान द्वारा की जाएगी।

(3)राज्य आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश द्वारा संचालित की जाएगी ।

(4) ऐसे अंशकालिक प्रधान को ,जो कार्यरत जिला या अपर जिला जज हैं,विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य आयोग के प्रधान की संस्तुति पर उच्च न्यायालय द्वारा करायी जाएगी।

(5) राज्य आयोग के प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के किसी आसीन या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

(6) उप नियम (1),(2),(3) या (4) के अधीन जांच के आधार पर ,यदि अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो राज्य आयोग के प्रधान की सिफारिश के पश्चात या राज्य आयोग के प्रधान की दशा में ,जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट और उसकी सिफारिश के सम्यक परीक्षण और उस पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार, यथा स्थिति ,नियम 3 के उप नियम (5) या नियम 6 के उप नियम (5) के अधीन दोषी अधिकारी को हटाए जाने के लिए आदेश जारी कर सकती है ।

10--नियम 9 के अधीन जांच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ,अर्थात :-

(1) शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायत की एक प्रति शिकायतकर्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराई जाएगी और शिकायतकर्ता को शपथ पत्र पर शिकायत प्रस्तुत करने अथवा शिकायत पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों के

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से प्रधान या सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अक्षम हो चुका हो,या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो जिससे प्रधान व सदस्य के रूप में उनके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ; या

(ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग कर लिया हो जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े;(या)

(च) जो बिना अवकाश के या अपने नियंत्रण से परे कारणों के सिवाय तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता हो ।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपनियम के खंड (घ), (ड.) और (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश द्वारा आयोजित जांच के बाद, जिसमें राज्य आयोग के प्रधान को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो और दोषी पाया गया हो, के सिवाय उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस उपनियम के खंड (घ), (ड.) और (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर और राष्ट्रीय आयोग के प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय आयोग के सदस्य द्वारा आयोजित जांच के बाद, जिसमें यथास्थिति जिला फोरम के प्रधान या सदस्य या राज्य आयोग के सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो और दोषी पाया गया हो, के सिवाय उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ।

विलोपित ।

http://srisamadesh.up.nic.in

संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा ।यदि शिकायतकर्ता द्वारा कोई शपथ पत्र या साक्ष्य,जैसा कि ऊपर वर्णित है,उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य आयोग का प्रधान शिकायत पर ध्यान न देकर उसे निक्षेप कर सकता है ।

(2) शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र या बयान एवं शिकायत के संबंध में साक्ष्य ,यदि कोई हो ,प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ,शिकायत पत्र में आरोपित किए गए प्रधान या सदस्य को शिकायत पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी और अपचारी को उसका उत्तर/ स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

(3) अपचारी प्रधान या सदस्य द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उत्तर /स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देने पर राज्य आयोग का प्रधान जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या उसे निक्षेप करने के संबंध में उपयुक्त विनिश्चय करेगा । यदि राज्य आयोग का प्रधान यथास्थिति, जिला फोरम के अपचारी प्रधान या सदस्य या राज्य आयोग के सदस्य के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने का विनिश्चय करता है तो राज्य आयोग के प्रधान द्वारा अपचारी सदस्य या प्रधान के निलंबन की संस्वीकृति दी जा सकेगी । तत्पश्चात राज्य सरकार यथोचित कार्यवाही करेगी ।यथास्थिति प्रधान या सदस्य के निलंबन की कार्यवाही की जाने की दशा में उसे मानदेय/ वेतन केवल पचास प्रतिशत देय होगा ।

(4) जांच किए जाने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य आयोग का प्रधान मामले की जांच या तो स्वयं कर सकता है अथवा राज्य आयोग के किसी सदस्य या उसके निबंधक को नामनिर्दिष्ट कर सकता है ।

(5) यथास्थिति ,प्रधान या जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय किए जाने की दशा में , तदनुसार आरोप विरचित किए जाएंगे , जिन्हें राज्य आयोग

http://sahadesh.up.nic.in

के प्रधान द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(6) आरोप पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों और साक्षियों की उनके बयान यदि कोई हो ,सहित सूची की प्रतियों के साथ अपचारी प्रधान या सदस्य को,रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध पते पर भेजा जाएगा अथवा व्यक्तिगत रूप से शामिल कराया जाएगा । यदि उर्पयुक्त रीति से आरोप-पत्र तामील न कराया जा सकता हो तो आरोप पत्र को किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा ।समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिए जाने पर तामील को पर्याप्त समझा जाएगा और ऐसे प्रकाशन के दो सप्ताह के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

(7) आरोप-पत्र की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर यथास्थिति,अपचारी प्रधान या सदस्य द्वारा लिखित उत्तर ,यदि कोई हो ,प्रस्तुत किया जाएगा ।यह भी पूछा जाएगा कि क्या वह किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराना चाहता है और अपनी प्रतिरक्षा में क्या साक्ष्य देना चाहता है ।उसको यह भी इंगित किया जाएगा कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने की दशा में यह उपधारणा कर ली जाएगी कि उसके पास उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई सामग्री नहीं है और तदनुसार एकपक्षीय जांच करने की कार्यवाही की जाएगी।

(8)जहां यथास्थिति ,अपचारी प्रधान या सदस्य हाजिर हो जाता है और लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लेता है ,वहां राज्य आयोग का प्रधान या जांच अधिकारी लगाए गए आरोप के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(9) जहां यथास्थिति ,अपचारी प्रधान या सदस्य अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों व दोषियों को इनकार करता है,वहां राज्य आयोग का प्रधान या जांच अधिकारी प्रस्थापित साक्षी के बयान को अपचारी प्रधान या सदस्य की उपस्थिति में अभिलिखित करने की कार्यवाही करेगा । साक्षियों को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जाएगा और कार्यवाहियों का पूर्ण अभिलेख रखा जाएगा ।

http://bhasanadesh.up.nic.in

(10) उन कार्यवाहियों में सही तथ्यों का पता लगाने अथवा आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपचारी अधिकारी से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए कहा या बुलाया जा सकता है ।

(11) जांच की संपूर्ण कार्यवाहियों के पूर्ण हो जाने पर ,यदि जांच राज्य आयोग के अध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा की गई है,तो जांच की रिपोर्ट राज्य आयोग के प्रधान के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।जांच अधिकारी ऐसी कार्यवाही के बारे में जो की जा सकती है,कोई सिफारिश या टिप्पणी नहीं करेगा ।

(12) जांच की कार्यवाही के पूर्ण हो जाने पर आरोप सिद्ध होने या न होने के बारे में निर्णय राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। आरोप सिद्ध न हो सकने की दशा में राज्य आयोग का प्रधान अपचारी अधिकारी एवं राज्य सरकार को सूचित करेगा कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं ।अपचारी अधिकारी को ,यदि वह निलंबित था ,राज्य सरकार द्वारा बहाल कर दिया जाएगा और उसे निलंबन अवधि के पूरे वेतन/मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

(13) राज्य आयोग के प्रधान द्वारा आरोप सिद्धि का निर्णय लिए जाने की दशा में अपचारी अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह सूचना के 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

(14) अभ्यावेदन और अन्य संबंधित दस्तावेजों ,यदि कोई हो ,को ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग का प्रधान अपने निर्णय को 30 दिनों के भीतर, यदि वे ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे ,30 दिनों की एक और अवधि के लिए न बढ़ाए गए हो ,संसूचित करेगा।

(15) यदि राज्य आयोग का प्रधान यह निष्कर्ष निकालता है कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं ,तो प्रधान दो सप्ताह के भीतर अपचारी अधिकारी को हटाने या पदच्युत करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश करेगा

http://shasanadesh.up.nic.in

।राज्य आयोग के प्रधान की सिफारिश की प्राप्ति के उपरांत राज्य सरकार सिफारिश की प्राप्ति के एक माह के भीतर तदनुसार समुचित आदेश जारी करेगी ।

आज्ञा से,

(निवेदिता शुक्ला वर्मा)
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

#अनुसूची

[[नियम 3 (क) (7) (ग) और नियम 6 (ख) (6) (3) में संदर्भित

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ।
2. विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 ।
3. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 ।
4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ।
5. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ।
6. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 ।
7. माल विक्रय अधिनियम 1930 ।
8. रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 ।

9 विद्युत अधिनियम, 2003 ।

10. बीमा अधिनियम, 1938 ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 01 /2019/39(1)/84-2-2019- सीपी 25/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि - उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड - ख में दिनांक 21 फरवरी 2019 को प्रकाशित करने का कष्ट करें और इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित 1500 (एक हजार पांच सौ) प्रतियां अनुभाग अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय, कक्ष संख्या-95 , नवीन भवन, लखनऊ को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

संख्या- 01 /2019/39(2)/84-2-2019- सीपी 25/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) अध्यक्ष ,राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबंधक मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
(6) सहायक निबंधक, मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या D.NO.1033/1999/III-A दिनांक 28 मई 2018 के संदर्भ में सिविल अपील संख्या 2740/ 2007 स्टेट ऑफ यूपी तथा अन्य बनाम ऑल यूपी कंजूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मॉडल रूल्स को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए निर्गत अधिसूचना संख्या 01/2019/39/84-2-2019-सीपी 25/2017 दिनांक 21 फरवरी 2019 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(7) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(9) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(10) निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खंड-1,गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्रांक 3115/ एस.सी.डी.आर.सी./अधि/53/16 दिनांक 9 अगस्त 2018 के क्रम में सिविल अपील संख्या 2740/ 2007 स्टेट ऑफ यूपी तथा अन्य बनाम ऑल यूपी कंजूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मॉडल रूल्स को प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए निर्गत अधिसूचना संख्या 01 /2019 39/ 84-2-2019-सीपी 25/2017 दिनांक 21 फरवरी 2019 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(11) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(12) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(13) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य / महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें,(द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)
(14) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(16) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(17) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN

UPBHOKTA SANRAKSHAN EVAM BAAT-MAAP ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 01/2019//39-84-2-2019-C.P.25/2017 dated February 21,2019:

NOTIFICATION

No. 01/2019//39-84-2-2019-C.P.25/2017

Lucknow, dated February 21,2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act 1986 (Act no.- 68 of 1986),the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987:

THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2019

Short title,extent and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Fourteenth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the *Gazette.*

Amendent of rule 2 **2.** In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987 hereinafter referred to as the said rules, for rule 2 set out in column 1 below,the rule as set out in column 2 shall be *substituted,* namely :-

COLUMN-1 Existing rule	COLUMN-2 **Rule as** hereby substituted
2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) "Act' means the Consumer Protection Act, I986 (68 of 1986); (b) "agent" means a person duly authorised by a party to present any complaint or appeal or reply on its behalf before the State Commission or the District Forum; (c) "appellant" means a party which makes an appeal against the order of the District Forum;	**2. Definitions. (1)** In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) ''Act'' means the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986); (b) "agent" means a person duly authorised by a party to present any complaint or appeal or reply on its behalf before the State Commission or the District Forum; (c) "appellant" means a party

http://shasanadesh.up.nic.in

(d) "memorandum" means memorandum of appeal filed by the appellant;
(e) "opposite party" means a person who answers complaint or claim;
(f) "president" means the President of the state Commission or District Forum as the case may be;
(g) "respondent" means the person who answers any memorandum of appeal;
(h) "state" includes Union territories.

which makes an appeal against the order of the District Forum;
(d) ''District Forum'' means the District Consumer Disputes Redressal Forum established under clause (a) of section 9 of the Act;
(e) ''Member'' means a Member of the District Forum appointed under clause (b) of sub-section (1) of section 10 of the Act; or a Member of the State Commission appointed under clause (b) of sub-section (1) of section 16 of the Act, as the case may be;
(f) "memorandum" means memorandum of appeal filed by the appellant;
(g) "opposite party" means a person who answers complaint or claim;
(h) ''President'' means the President of the District Forum appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 10 of the Act; or the President of the State Commission appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 16 of the Act, as the case may be;
(i)"respondent" means the person who answers any memorandum of appeal;
(j) ''Selection committee'' means the Selection Committee constituted under sub section

http://shasanadesh.up.nic.in

(1A) of section 10 or sub section (1A) of section 16 as the case may be;

(k) "state" includes Union territories.

(l)''State Commission'' means the State Consumer Disputes Redressal Commission established under clause (b) of section 9 of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

Amendment of rule-3

3. In the said rules for rule 3 set out in column 1 below, the rules as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1	**COLUMN-2**
Existing rule	**Rule as hereby substituted**
3.Salaries and other allowances and terms and conditions of the President and Members of the District Forum [Section 10 (3)] ---- [(1)[(a) The President of District Forum shall receive the salary of the Judge of a District Court if appointed on whole time basis. A Member if sitting on whole- times basis, shall receive a consolidated honorarium of Rs. 13950/- per month.	**3 Mode of appointments in District Fora --**(1) President of a District Forum shall be appointed either (a) by direct appointment or (b) on deputation from amongst the serving District Judges. Provided that appointment of a serving District Judge shall not be made without the concurrence of the High Court: Provided further that where the pendency of complaints at the starting of the year before a District Forum does not exceed five hundred or the average number of complaints filed in the last three years does not exceed five hundred,

http://srisanadesh.up.nic.in

(b) The President of the District Forum shall receive House Rent Allowance of Rs. 3290/- per month if appoitned on whole time basis and no Government accomdation is provided to him.

(c) The Member of the District Forum shall receive House Rent Allowance of Rs. 2470- per month if appoitned of whole time basis and no Government accomdation is provided to him.

(2) The President and the Members of the District Forum shall be entitled for such travelling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to Grade-1 officer of the State Government.

(3) The salary, honorarium and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

(4) Before appointment, the President and the Members of the District Forum shall have to take an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interests as is likely to affect the appointment may be made on part-time basis.

(2) Notwithstanding the provisions in sub-rule (1), if the State Government is of the view that the work can be managed by assigning additional charge to a serving District Judge, it may do so with the concurrence of the Chief Justice of the High Court.

(3) Members of the District Forum shall be appointed on whole-time basis or part-time basis.

Provided that the number of posts for whole-time appointment shall be identified by the State Government in consultation with the President of the State Commission:

Provided further that where the pendency of complaints at the starting of the year before a District Forum does not exceed five hundred or the average number of complaints filed in the last three years does not exceed five hundred, the appointment may be made on part-time basis.

(4) In the event of pendency of complaints at the starting of the year before a District Forum exceeding one thousand five hundred or the average number of complaints filed in the last three years exceeding one thousand, the State Government may establish an additional District Forum in the District.

http://shasanadesh.up.nic.in

prejudicially his functions as a Member.

[(5) In addition to provisions of Section 10(2), the State Government may remove from the office the President and member of a District Forum who:-

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude: or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member,or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(f) does not pass judgment or order possible under the Act, and in conformity with the earlier judgment and the act and does not display absolute intergrity, good conduct and dutifulness; or

(5) Presidents and Members appointed on part-time basis shall function for such number of days in a week as may be decided by the President of the State Commission in consultation with the State Government, taking into consideration the work load of the District Forum.

Provided that the number of working days shall not be less than two in a week and the President and Members, appointed on part-time basis, will observe regular office hours on their working days.

(6) Presidents and Members while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

(7) Where any vacancy occurs in the office of the President of District Forum,the seniormost (in order of appointment) member of District Forum, holding office for the time being, shall discharge the functions of the president until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the District Forum.

(8) When the President of the District forum is unable to discharge the functions owing to absence, illness or any other cause, the senior-most (in order to the appointment) Member of the District Forum shall discharge the functions of the President until the day on which the

http://shasanadesh.up.nic.in

(g) is guilty of an explained absence up to 7 days without permissions:

Provided that the President or Member shall not be removed from his office on the ground specified in Clauses (d) and (e) of this sub-rules except on an inquiry held by State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and the member is found to be guilty of such ground.

(6) The terms and conditons of the service of the President and the Members of District Forum shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(7) Where any vacancy occurs in the office of the President of District Forum,the seniormost (in order of appointment) member of District Forum, holding office for the time being, shall discharge the functions of the president until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the District Forum.

(8) When the President of the District forum is unable to President resumes the charge of his functions.

(9) The President or any Member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organisation which have been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

http://shasanadesh.up.nic.in

discharge the functions owing to absence,illness or any other cause, the senior-most (in order to the appointment) Member of the District Forum shall discharge the functions of the President until the day on which the President resumes the charge of his functions.

(9) The President or any Member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organisation which have been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

Insertion of new rules 3A to 3F

4. In the said rules after rule 3 the following rule shall be *inserted*, namely:-

3.A-Selection of the President and Members of District Fora. -

(1) Matters relating to appointment of President and Members of District Fora shall be processed by the President of the State Commission.

(2) The process of appointments shall be initiated at least six months before the vacancy arises.

(3) If a post falls vacant due to resignation or death of a President or a Member or creation of a new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.

http://sansadesh.up.nic.in

(4) The Advertisement of a vacancy, inviting applications for the posts from eligible candidates will be published in leading newspapers and also circulated in such other manner as the President of the State Commission may deem appropriate.

(5) Selection of President and Members of District Fora shall be made by the Selection Committee constituted under sub-section (1A) of section 10 of the Act.

(6) After scrutiny of the applications received till the last date specified for receipt of applications, list of eligible candidates along with their applications shall be placed before the Selection Committee.

(7) The Selection Committee shall short-list the applicants in the following manner, namely –

(a) in case of candidates having judicial background, on the basis of the judgments and other judicial orders passed by such candidates;

(b) in case of candidates having experience of working under the Central Government or any State Government or an undertaking under the Central Government or the State Government, on the basis of their available Annual Confidential Reports for the last ten years and their experience relevant to the post applied for;

(c) in other cases, on the basis of performance in a written test consisting of two papers as per the following scheme. The qualifying marks in each paper shall be 50%:-

Paper	Topics	Nature of test	Max. marks	Duration
Paper-I	**(a)** General Knowledge and Current Affairs **(b)** Knowledge of Constitution of India. **(c)** Knowledge of various Consumer related Laws as indicated in the schedule.	Objective Type	100	2 hours
Paper-II	(a) One Essay on topics chosen from issues on trade & commerce, consumer related issues or Public Affairs (b) One case study of a consumer case for testing the abilities of analysis and cogent drafting of orders.	Descriptive type	100	3 hours

(8) The selection committee shall interview all shortlisted candidates in which marks may be awarded giving due weightage to the personality, relevant past experience, knowledge of law, special achievements, aptitude and vision for the assignment to be taken up.

(9) The Selection Committee shall recommend a panel of names of candidates for appointment as President or Member, as the case may be, from amongst the candidates in the order of merit for consideration of the State Government.

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) The State Government shall verify or cause to be verified the credentials and antecedents of the recommended candidates.

(11) Every appointment of a President or Member shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure signed by a civil surgeon or District Medical Officer.

(12) Before appointment, the selected applicant shall have to furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as President or Member.

3.B-Salaries/Remunerations of the whole-time President and Members of District Fora.

(1) A serving District Judge, appointed on deputation basis, shall be entitled to pay and allowances of a District Judge in the super time scale of pay.

(2) A whole-time President other than serving or retired District Judge shall receive a consolidated remuneration equivalent to pay at the minimum of the scale of pay of a District Judge plus other allowances as admissible.

(3) A whole-time Member shall be paid a consolidated remuneration equal to the pay at the minimum of the scale of pay of a Deputy Secretary of the State Government plus other allowances as admissible.

(4) Fixation of pay of the retired Government servants appointed to the posts of President or Members on whole time basis shall be on the basis of the pay last drawn reduced by the amount of pension plus other allowances as admissible to a re-employed pensioner.

(5) There shall be an annual upward revision of the remuneration of whole-time appointees at the rate of 3%.

3.C-Salaries/Remunerations of the part-time President and Members of District Fora.-

(1) A part time President shall be paid a consolidated remuneration of rupees five thousand in class X cities, rupees four thousand in class Y cities and rupees three thousand in other places, per day of sitting.

(2) A part time Member shall be paid a consolidated remuneration of rupees four thousand in X class cities, rupees three thousand and five hundred in Y class cities and rupees two thousand and five hundred in other places, per day of sitting.

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) Remuneration of the part-time appointees shall be reviewed every three years taking into consideration the consumer price index.

(4) Remuneration in the case of appointments made on additional charge basis shall be governed by the relevant provisions in the Financial Rules.

3.D- Leave and Medical treatment and hospital facilities to the whole-time appointees. :

Whole-time appointees shall be entitled to leave, LTC, medical treatment and hospital facilities as per the provisions applicable to Group A Government Servants in the State Government.

3.E- Payment of the salary and other allowances :-

(1) The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

(2) The President and the Members of the District Forum shall be entitled for such travelling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to Grade-1 officer of the State Government.

3.F-The terms and conditions of the service of the President and the Members of the District Forum shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

Amendment of rule-6

5. In the said rules for rule 6 set outin column 1 below, the rules as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 **Existing rule**	**COLUMN-2** **Rule as hereby substituted**
6. Salaries and other allowances and terms and conditions of the President and Members of the State Commission [Section 16 (2)] -- -- [(1)[(a) The President of State Commission shall receive the salary of the Judge of the High Court if appointed on the whole time basis. A member if sitting on whole-times basis shall receive a consolidated	**6.Mode of appointment in the State Commission**. - (1) President of the State Commission may be appointed on whole time basis or by assigning additional charge to a sitting judge of the High Court. Provided that appointment of a sitting High Court Judge, either on whole time basis or on additional charge basis, shall not be made without the concurrence of the Chief Justice of the High Court.

http://shasanadesh.up.nic.in

honorarium of Rs. 20910/- per month but the whole time members who have retired from the Uttar Pradesh Higher Judicial Service/Indian Administrative Service/Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch), shall get the amount of equal to amount of last pay drawn after deducting the amount of consolidated pension (before commutation) in the form of honorarium which shall not be greater than the amount of last pay drawn.

(b) The President of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation. If no such accommodation is provided to the President of the State Commission, he shall get house rent allowance, as fixed by the Government from time to time.

(c) The Member of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation, If no such accommodation is provided, to the Member of the State Commission, he shall get house rent allowance of Rs. 4110/- per month].]

(2) Members of the State Commission shall be appointed either by (a) direct appointment or (b) on deputation from amongst the Government servants, who are qualified to hold the post.

Provided that a serving judicial officer shall not be appointed without concurrence of the Chief Justice of the High Court.

Provided further that where the pendency of complaints and appeals at the starting of the year before the State Commission does not exceed five hundred or the average number of complaints and appeals filed in the last three years does not exceed five hundred, the appointment may be made on part-time basis.

(3) Members appointed on part-time basis shall function for such number of days in a week as may be decided by the President of the State Commission in consultation with the State Government, taking into consideration the work load of the District Forum.

Provided that the number of working days shall not be less than two in a week and the Members, appointed on part-time basis, will observe regular office hours on their working days.

(4) Presidents and Members while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

(5)- Where any such vacancy occurs in the office of the President of the State Commission, the senior-most (in order of

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) The President and the Members of the State Commission shall be eligible for such travelling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to Grade-1 officer of the State Government.

(3) The salary, honorarium and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

(4)(a) President of the State Commission shall hold office for a term of five years or up to the age of 70 years whichever is earlier and shall not be eligible for re-nomination.

(b) The member of the State Commission shall hold office for a term of five years or up to the age of 65 years whichever is earlier and shall not be eligible for re-nomination:

Provided that President and member may,-

a. by writing under his hand and address to the State Government resign his office any time.

b. be removed from his office in accordance with provisions of sub-rule (5).

(5) The State Government may remove from office, President or appointment) member, holding office for the time being, shall discharge the functions of the president until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the State Commission.

(6)- When the President of the State Commission is unable to discharge the functions owing to absence, illness or any other cause, the senior-most (in order to the appointment) member of the State Commission shall discharge the functions of the President until the day on which the President resumes the charge of his functions.

(7)- The President or any member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organisation which have been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

http://shasanadesh.up.nic.in

a member of the State Commission who-

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a memeber; or

(e) has so absued his position as to render his continunance in office prejudicial to the public interest:

Provided that the President or a member shall not be removed from his office on the ground specified in Clauses (d) and (e) of sub-rule (5) except on an inquiry held by the State Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf and finds the member to be guilty of such ground.

(6) Before appointment, the President and the Member of the State Commission shall have to take an undertaking that he does

http://shasanadesh.up.nic.in

not and will not have any such financial or other interests as is likely to affect prejudicially his functions as such member.

(7) The terms and conditons of the service of the President and the Members of the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

(8) Every vacancy caused by resignation and removal of the President or any other member of the State Commission under sub-rule (4) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(9)- Where any such vacancy occurs in the office of the President of the State Commission, the senior-most (in order of appointment) member holding office for the time being, shall discharge the functions of the president until a person appointed to fill such vacancy assumes the office of the President of the State Commission.

(10)- When the President of the State Commission is unable to discharge the functions owing to absence, illness or any other cause, the senior-most (in order to the appointment) member of the State Commission shall discharge the functions of the

http://shasanadesh.up.nic.in

President until the day on which the President resumes the charge of his functions.

(11)- The President or any member ceasing to hold office as such shall not hold any appointment in or be connected with the management or administration of an organisation which have been the subject of any proceeding under the Act during his tenure for a period of 5 years from the date on which he ceases to hold such office.

Insertion of new rules 6A to 6G

6. In the said rules after rule 6 the following rules shall be *inserted*, namely:-

6.A-Selection of the President of the State Commission. -

(1) The process of appointment shall be initiated by the State Government at least six months before the vacancy arises.

(2) If a post falls vacant due to resignation or death of a President or creation of a new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.

(3) The Selection Committee constituted under sub-section (1A) of Section 16 of the Act, shall recommend, through a search and selection process after assessing the suitability on the basis of merit and experience, a candidate with another candidate in the waiting list, for consideration of the State Government.

(4) The candidates under consideration shall be clear from the vigilance angle.

(5) The State Government shall appoint the selected candidate after consultation with the Chief Justice of the High Court.

(6) Every appointment of the President shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure signed by a civil surgeon or District Medical Officer.

(7) Before appointment, the selected candidate shall have to furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as President.

6.B- Selection of Members of the State Commission.-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) The process of appointments shall be initiated by the President of the State Commission at least six months before the vacancy arises.

(2) If a post falls vacant due to resignation or death of a Member or creation of a new post, the process for filling the post shall be initiated immediately after the post has fallen vacant or is created, as the case may be.

(3) The Advertisement of a vacancy, inviting applications for the posts from eligible candidates will be published in leading newspapers and also circulated in such other manner as the President of the State Commission may deem appropriate.

(4) Selection of Members of State Commission shall be made by the Selection Committee constituted under sub-section (1A) of section 16 of the Act.

(5) After scrutiny of the applications received till the last date specified for receipt of applications, a list of eligible candidates along with their applications shall be placed before the Selection Committee.

(6) The Selection Committee shall short-list the applicants in the following manner, namely –

(a) in the case of candidates having judicial background, on the basis of the judgments and other judicial orders passed by such candidates;

(b) in the case of candidates having experience of working under the Central Government or any State Government or an undertaking under the Central Government or the State Government, on the basis of their available Annual Confidential Reports for the last ten years and their experience relevant to the post applied for;

(c) in other cases, on the basis of a written test of two papers as per the following scheme. The qualifying marks in each paper shall be 50%.

Paper	Topics	Nature of test	Max. marks	Duration
Paper-I	(a)General Knowledge and Current Affairs (b)Broad features of the Code of Civil Procedure. (c)Kowledge of various Consumer related Laws as indicated in the schedule. (d) Knowledge of Constitution of India.	Objective Type	100	2 hours
Paper-II	(a)One Essay on topics chosen from issues on trade & commerce, consumer related issues or Public Affairs (b) One case study of a consumer case for testing the abilities of analysis and cogent drafting of orders.	Descriptive type	100	3 hours

(7) The Selection Committee shall interview all shortlisted candidates and award marks with due weightage to the personality, relevant past experience, quality of

http://srasanadesh.up.nic.in

the judgments, knowledge of law, special achievements, aptitude and vision for the assignment to be taken up.

(8) The Selection Committee shall recommend a panel of names of candidates for appointment as Member from amongst the candidates in the order of merit for the consideration of the State Government.

(9) The State Government shall, verify or cause to be verified the credentials and antecedents of the recommended candidates.

(10) Every appointment of a Member shall be subject to submission of a certificate of physical fitness as indicated in the annexure signed by a civil surgeon or District Medical Officer to his medical fitness.

(11) Before appointment, the selected candidate shall have to furnish an undertaking that he does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as such Member.

6.C- Salaries/Remunerations of the whole-time President and Members of the State Commission -

(1) President of the State Commission shall receive the salary, allowances and other perquisites as are admissible to a sitting judge of the High Court of the State.

(2) A whole-time Member of the State Commission shall be paid a remuneration equivalent to the pay at minimum of the scale of pay of Special Secretary in the State Government and other allowances as admissible.

Provided that serving Government servants appointed on deputation basis shall be entitled to salary and allowances under the provisions applicable to deputationists.

Fixation of pay of the persons retired from Government Service, appointed to the posts of President or Member on whole time basis, shall be on the basis of the pay last drawn reduced by the amount of pension.

6.D- Salaries/Remuneration of the part-time Members of the State Commission. -

(1) A part-time Member of the State Commission shall be paid a consolidated remuneration of rupees five thousand in X class cities, rupees four thousand in Y class cities and rupees three thousand in other places, per day of sitting.

(2) Remuneration of the part-time appointees shall be reviewed every three years taking into consideration the consumer price index.

(3) Remuneration in the case of appointments made on additional charge basis shall be governed by the relevant provisions in the Financial Rules as amended.

http://snasanadesh.up.nic.in

6.E- Leave and Medical treatment and hospital facilities to the whole-time appointees :-

Whole-time appointees shall be entitled to leave, LTC,medical treatment and hospital facilities as per the provisions applicable to Group A Government Servants in the State Government.

6.F- Payment of the salary and other allowances :-

(1)The salary, remuneration and other allowances shall be defrayed out of the Consolidated Fund of the State Government.

(2) The President and the Members of the State Commission shall be eligible for such travelling allowance and daily allowance on official tour as are admissible to Grade-1 officer of the State Government.

6.G- The terms and conditions of the service of the President and the Members of the State Commission shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.

Amendment of rules 9 and 10

7.In the said the rules for rule 9 and 10 set out in column 1 below,the rules as set out incolumn 2 shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-1 Existing Rules.	**COLUMN-2** Rules as hereby substituted.
9 (1) The President of the State Commission may himself enquire the complaints received against the full time President of the District Forum or may nominate a Member of the State Commission or the Registrar therof. (2) Enquiries on complaints received against the Members of the District Forum shall be conducted by the President of the State Commission or by a Member of the State Commission or by the Registrar of the State Commission or by the full time President of the District Forum concerned as nominated by the President of the State Commission.	**9. Removal of President and Members of State Commission and District Fora from office in certain circumstances. -** (1) The State Government may remove from office, the President or any Member, who, -(a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or (c) has become physically or mentally incapable of acting as the President or the Member; or

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) Enquiries on complaints received against a Member of the State Commission shall be conducted by any sitting Judge of High Court nominated by the State Goverment in consultation with the Chief Justice of the High Court of the State.

(4) Enquiries on complaints received against a part time President of District Forum who is a sitting Distrcit Judge or an Additional District Judge shall be held by the High Court on the recommendation of the President of the State Commission.

(5) Enquiries on complaints received against the President of the State Commission shall be held by a sitting or retired Chief Justice of any High Court in Consultation with the Chief Justice of the High Court of the State.

(6) On the basis of the enquiries, under sub-rule (1), (2), (3) or (4), if the officer is found guilty, then after recommendation of the President of the State Commission, or in the case of President of State Commission, after due examination and consideration of the enquiry report and recommendations of enquiry, officer,the State Government may issue orders for removing the guilty officer, under sub-rule (5) of Rule 3 or sub-rule(5) of rule 6, as the case may be.

d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the President or a Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(f) remains absent in three consecutive sittings except without leave or for reasons beyond his control.

(2) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), the President of the State Commission shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d), (e) and (f) of that sub-rule except after an inquiry held by a sitting Judge of the High Court nominated by the Chief Justice of the High Court in which the President of the State Commission has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and found guilty.

(3) Notwithstanding anything contained in sub rule (1) a Member of the State Commission, President or Member of the District Forum shall not be removed from his office on the grounds specified

http://srisanadesh.up.nic.in

	in clauses (d), (e) and (f) of that sub-rule except after an inquiry held by a Member of the National Commission nominated by the President of the National Commission, in which the President or Member of the District Forum or the Member of the State Commission, as the case may be, has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and found guilty.
10.Procedure for Enquiry.- For enquiry under rule 9 the following procedure shall be followed, namely - (1) After a complaint is received a copy of the complaint shall be sent to the complainant by registered post or personally and the complainant shall be directed to submit the complaint on an affidavit or provide evidence about the allegations contained in the complaint. If no affidavit or evidence is provided as stated above by the complainant, then the President of the State Commission may ignore the complaint and consign it to records. (2) On submission of affidavit or statement to the effect that evidence, if any, shall be furnished by the complainant, then the President or Member against whom allegations have been in the complaint, shall be	**Omitted**

http://srisanadesh.up.nic.in

provided with a copy of the complaint and its reply/explanation shall have to be furnished by the delinquent within 15 days.

(3) On submission of reply/explanation by the delinquent president or Member within the time allowed, the President of the State Commission shall take appropriate decision as to whether the inquiry is to be proceeded with or is to be consigned to records. In case the President of the State Commission decides to initiate enqiry proceedings against delinquent President or the Member of the District Forum or the Member of the State Commission, as the case may be, the suspension of the delinquent Member or the President may be recommended by the President of the State Commission. The State Government shall thereupon take appropriate action. In the event of suspension of President or Member being proceeded with, as the case may be, only 50% of the honorarium/salary shall be payable to him.

(4) In the event of deciding to hold the enquiry, the President of the State Commission may enquire the matter himself or may nominate a member of the State Commission or the Registrar thereof.

(5) In the event of the President or the enquiry officer, as the case may

http://srisanadesh.up.nic.in

be, deciding to proceed against the delinquent officer, charges shall be framed accordingly to be approved and signed by the President of the State Commission.

(6) The charge-sheet along with the copies of the documentary evidence and list of the witnesses as well as their statements, if any, shall be sent to the delinquent President or Member by registered post on the address available in the office record or be served personally. If the charge-sheet cannot be served in the said method, then the charge-sheet shall be published in a local newspaper. On the publication in the newspaper, service shall be deemed sufficient and further action shall be taken after two weeks of such publication.

(7) Written reply, if any, from the delinquent President or Member as the case may be, shall be submitted within fifteen days from the receipt of charges. It will be enquired whether he desires to cross-examine any witness and what evidence he contemplates to file in defence. It will also be indicated to him that in the event the required information is not submitted within the stipulated period, it will be presumed that he does not have any material to provide and accordingly the enquiry will proceed ex-parte.

(8) Where the delinquent President or Member as the case may be

http://srisanadesh.up.nic.in

appears and accepts the allegations made, the President of the State Commission or the Enquiry Officer will submit report on the basis of allegations made.

(9) Where the delinquent President or Member as the case may be denies the allegations, and the charges framed against him, the President of the State Commission or the Enquiry Officer will proceed to record the statement of proposed witnesses in the presence of the delinquent President or Member. Opportunity will be provided to corss examine the witnesses and the full record of the proceedings shall be maintained.

(10) In those proceedings the delinquent officer may be asked or may be called upon to produce any document in order to find out the true facts or to prove the allegations.

(11) On completion of the entire enquiry proceedings, if the enquiry conducted by any officer other than the President of the State Commission, the report of enquiry shall be submitted before the President of the State Commission. The Enquiry Officer shall not make any recommendation /comments about the action which may be taken.

(12) On completion of the enquiry proceedings, the decision whether the allegations have been proved or not

http://srasanadesh.up.nic.in

proved, will be taken by the President of the State Commission. In the event of the allegations being not proved the President of the State Commission may inform the delinquent officer and the Government that the allegations have

not been proved. The delinquent officer will be reinstated by the Government if he was under suspension and would be paid full salary/honorarium for the period of suspension.

(13) In the event of the President of the State Commission, deciding that the allegations have been proved, the delinquent officer shall be at liberty to submit a representation within 15 days of the information.

(14) The President of the State Commission shall communicate his decision within 30 days if not extended for another period of 30 days for reasons to be recorded in writing. Keeping in view the representation and other related documents, if any.

(15) If the President of the State Commission finds that the allegations against the delinquent officer have been proved, the President shall recommend within two weeks to State Government to remove or dismiss the delinquent officer. The State Government, shall, after receiving the recommendation of the President of the State Commission, issue

http://srisanadesh.up.nic.in

appropriate order accordingly within one month of the receipt thereof.

By order,

(Nivedita Shukla Verma)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

SCHEDULE

[Refer to Rule 3(A)(7)(c) and 6(B)(6)(c)

1. The Consumer Protection Act, 1986
2. The Legal Metrology Act, 2009
3. The Bureau of Indian Standards Act, 2016
4. The Competition Act, 2002
5. The FSS Act, 2006
6. The Drugs and Cosmetics Act, 1945
7. The Sale of Goods Act, 1930
8. The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
9. The Electricity Act, 2003
10. The Insurance Act, 1938

http://shasanadesh.up.nic.in